तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	न. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	सज्जन सिंह बनाम **लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर–शहर प्रथम, जोधपुर)** सू.अ. अपील संख्या 16/2024	
24/04/2024	अपीलार्थी सज्जन सिंह निवासी आशीयना अमरबाग, पाली रोड़, कुडी, जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत उसके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 18.12.2023 में आवेदन दिनांक 13.02.2023 पर की गई कार्यवाही से संबधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर–शहर प्रथम, जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो. पक्ष (अतिरिक्त जिला कलक्टर–शहर प्रथम, जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो. पक्ष (अतिरिक्त जिला कलक्टर–शहर प्रथम, जोधपुर) ने जरिये पत्रांक 1672 दिनांक 08.04.2024 द्वारा बतलाया कि प्रार्थी द्वारा वांछित प्रार्थना पत्र को पत्रांक 696 दिनांक 14.03.2024 द्वारा मूल ही क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर को प्रेषित किया गया। जिसकी सूचना प्रार्थी को जरिये पत्रांक 1671 दिनांक 08.04.2024 द्वारा प्रेषित की गई। चूंकि अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित वांछित पत्र पर की गई कार्यवाही की सूचना लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रार्थी को प्रेषित की जा चुकी है, परन्तु अपील दायर होने के पश्चात कार्यवाही कर सूचना दी गई जो खेदजनक है। अतः लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर–शहर प्रथम, जोधपुर) को निर्देशित किया जाता है कि [illegible] सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त प्रार्थना पत्रों का निस्तारण [illegible] समय पर करे [illegible] कार्यालय में प्राप्त होने वाले पत्रों को निर्धारित समयावधि में संबंधित विभाग में प्रेषित कराने हेतु अधीनस्थ कार्मिकों को पाबंद करावे। उपरोक्तानुसार अपील का निस्तारण किया जाता है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Agrawal
Date: 2024.05.06 10:25:57 IST
Reason: SelfAttested